रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML–2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 9 अगस्त, 2005

संख्या वि0 स0 विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–50/2005.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 22) जो

1849–राजपत्र/2005–9–8–2005––1,460. (2275) मूल्य: एक रुपया।

आज दिनांक 9 अगस्त, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव ।

2005 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 4 की उप–धारा (3) में, "किसी भी यूनिट को सम्बद्ध यूनिट के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी" शब्दों के स्थान पर "विश्वविद्यालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी संस्थान को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाएं, सम्बद्ध संस्थान के रूप में मान्यता दे सकेगा", शब्द रखे जाएंगे । 1987 का 4

धारा 15 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 में,–

(क) उप–धारा (1) में, "विश्वविद्यालय" शब्द से पूर्व "सम्बद्ध संस्थानों सहित" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (2) में, "उसे अपने नियन्त्रणाधीन" शब्दों से पूर्व "सम्बद्ध संस्थानों सहित" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ii) डाक्टर जी0 सी0 नेगी पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय, पालमपुर; और" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में पशुपालन विभाग वैटनरी फारमासिस्टों को चम्बा, खजियान, घणाहट्टी, ज्योरी, नालागढ, पालमपुर, ताल, सुन्दरनगर, गगरेट और सराहन में प्रशिक्षण दे रहा है। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वैटनरी फारमासिस्ट प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कोर्स के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी है । तथापि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त केन्द्रों को चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से सम्बद्ध होने के कारण मान्यता नहीं दी जा सकती है । इसलिए, उपर्युक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करना आवश्यक समझा गया। इसके अतिरिक्त चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रबन्ध बोर्ड ने इसकी विद्या परिषद् की सिफारिश पर, डाक्टर जी0 सी0 नेगी, भूतपूर्व उप–कुलपति के उनके पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए, जिसके अन्तर्गत राज्य में साधारणतया पशुपालन विभाग के विकास के लिए भवन ब्लाकों की स्थापना तथा पालमपुर में विशेषतया पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय का सृजन और उन्नयन भी है, उनके प्रति आदर के प्रतीक के रूप में और सम्मान स्वरूप "पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय, पालमपुर" का नाम बदलकर "डाक्टर जी0सी0 नेगी पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय, पालमपुर" करने की सिफारिश की है । डा0 जी0 सी0 नेगी राज्य में पशुपालन क्रियाकलापों के लिए अवसंरचना के सृजन के लिए कटिबद्ध थे । इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम में इस प्रभाव को आवश्यक संशोधन करने का भी विनिश्चय किया गया। इसलिए, उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

राजकृष्ण गौड़,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
तारीख : 2005

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 विश्वविद्यालय को उन शर्तों, जिनके अध्यधीन विश्वविद्यालय किसी संस्थान को सम्बद्ध संस्थान के रूप में मान्यता दे सकेगा, का उपबन्ध करने हेतु परिनियम और विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

राजकृष्ण गौड़,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : 2005

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2005.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act,1986 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (3), for the words "No unit shall be recognized as an affiliated unit", the words "The University may recognize any institution under its jurisdiction as an affiliated institution subject to such conditions as may be prescribed" shall be substituted. 4 of 1987

Amendment of section 15.

3. In section 15 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "the University", the words "including affiliated institutions" shall be inserted; and

(b) in sub-section (2), after the words "to its control", the words "including affiliated institutions" shall be inserted.

Amendment of section 35.

4. In section 35 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) Dr. G. C. Negi College of Veterinary and Animal Sciences, Palampur; and".

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the University to make statutes and regulations to provide for the conditions subject to which the University may recognize any institution as an affiliated institution. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present the Department of Animal Husbandry is imparting training to the Veterinary Pharmacists at Chamba, Khajjian, Ghanahatti, Jeori, Nalagarh, Palampur, Tal, Sundernagar, Gagret and Sarahan. The Chaudhry Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur is responsible for preparation of the syllabus for training course of Veterinary Pharmacists Trainees. However, the above centres cannot be recognized as being affiliated to Chaudhry Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur in view of the existing provisions of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986. Thus, it has been considered essential to amend the Act *ibid* suitably. Further the Board of Management of Chaudhry Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur on the recommendations of its Academic Council has also recommended the renaming of the "College of Veterinary and Animal Sciences, Palampur" as "Dr. G. C. Negi College of Veterinary and Animal Sciences, Palampur" as a mark of respect and as a tribute to the memory of Dr. G. C. Negi former Vice-Chancellor for his significant contributions in the field of Veterinary and Animal Sciences which includes the setting up of the building blocks for the development of the Animal Husbandry Department in the State in general and creation and upliftment of College of Veterinary and Animal Sciences at Palampur in particular. Dr. G. C. Negi was instrumental in creating infrastructure for Animal Husbandry activities in the State. Thus, it has also been decided to make necessary amendments in the Act *ibid* to this effect. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-in-Charge.

Shimla:
Dated: Shimla-171002, the *2005.*

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2005

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-in-charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

Shimla:
The.....2005.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हि0 प्र0, शिमला–5, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।